रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 1978/फाल्गुन 11, 1899
No. 108] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1978/PHALGUNA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1978

**का. आ. 142(अ).**—मेसर्स बंगाल एम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् औषध और भैषजिक उद्योग में लगा है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं की बाबत उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी आई है जिसका वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है, और उस औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस प्रकार किया जा रहा है कि वह जन हित के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियों की पूरा और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय गठित करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. डा. एस. पी. भट्टाचार्य,
   उपमहानिदेशक,
   तकनीकी विकास निदेशालय—अध्यक्ष।
2. डा. पी. आर. गुप्त,
   सलाहकार (औषध),
   रसायन और उर्वरक विभाग।
3. श्री डी. बी. तेलंग,
   महाप्रबन्धक,
   (वित्त और प्रशासन),
   हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड,
   पिम्परी, पुणे।
4. श्री जी. एस. सन्धू,
   उप सचिव,
   रसायन और उर्वरक विभाग।

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं. 4/1/77-सी. यू. सी.]
जी. वी. रामकृष्णा, अपर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

**(Department of Industrial Development)**

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1978

**S.O. 142(E).**—Whereas, the industrial undertaking known as Messrs Bengal Immunity Company Limited, Calcutta is engaged in the schedule industry, namely, drugs and pharmaceuticals industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to conditions prevailing, there is no justification, and that the industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

1. Dr. S. P. Bhattacharya,
   Deputy Director General,
   Directorate General, Technical Development,
   Chairman.
2. Dr. P. R. Gupta,
   Adviser (Drugs),
   Department of Chemical and Fertilizers.
3. Shri D. B. Telang,
   General Manager,
   (Finance and Administration),
   Hindustan Antibiotics Limited,
   Pimpri, Poona.
4. Shri G. S. Sandhu,
   Deputy Secretary,
   Department of Chemicals and Fertilizers.

2. The above body shall submit its report within a period of four weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 4/1/77-CUC]
G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978